



(131)

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक / 808
प्रति,

/ भू.अ.लि.-4 / 2016 रायगढ़ दिनांक 23 / 06 / 2016

संशोधित

मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम
अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड
रायपुर (छ.ग.)

विषय :-

छ.ग. पूर्व रेल्वे लिमिटेड द्वारा कॉरिडोर हेतु रेल मार्ग का निर्माण हेतु प्रस्तावित रेल मार्ग हेतु खरसिया से छाल (0 से 10 किमी.) एवं घरघोड़ा से डोंगामौहा (0 से 28 कि.मी.) हेतु अनुविभाग घरघोड़ा तहसील तमनार के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रकरण में अनुसूचित जनजाति अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के संबंध में प्रदर्श 'स' भेजने बाबत।

संदर्भ :-

छ.ग. ईस्ट रेल्वे लिमिटेड रायपुर का पत्र क्रमांक CERL/16-17/113 दिनांक 11.06.2016 एवं वन मण्डलाधिकारी रायगढ़ का पृ.पत्र क्रमांक/तक.अधि./2774/2016 रायगढ़ दिनांक 10.06.2016

—00—

विषयांतर्गत रेल कॉरीडोर मार्ग पर आने वाले खरसिया से छाल (0 से 10 किमी.) हेतु तहसील खरसिया के राजस्व वन भूमि $2.631 + 0.833 = 3.464$ हे. में एवं घरघोड़ा से डोंगामौहा (0 से 28 कि.मी.) हेतु अनुविभाग घरघोड़ा तहसील तमनार के राजस्व वन भूमि 5.094 हे. में यानि कुल राजस्व वन भूमि $3.464 + 5.094 = 8.558$ हे. तथा अनुभाग घरघोड़ा अंतर्गत (0 से 28 कि.मी.) कम्पार्टमेंट नंबर अनुसार आरक्षित वन भूमि 17.962 हे. कुल 26.520 हे. राजस्व एवं आरक्षित वन भूमि के प्रकरण में गैरवानिकीय उपयोग हेतु वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रकरण में अनुसूचित जनजाति अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार हक पत्र प्रदाय करने की जानकारी चाही गई है। तदनुसार तैयार प्रदर्श 'स' (एकीकृत) जानकारी सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 808 A
प्रतिलिपि :-

/ भू.अ.लि.-4 / 2016

रायगढ़ दिनांक 23 / 06 / 2016

सचिव, छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर(छ.ग.) ।

कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग.)



कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), रायगढ़ (छ.ग.)

संशोधित

प्रमाण पत्र

प्रदर्श 'स'

छ.ग. पूर्व रेल्वे लिमिटेड द्वारा कॉरिडोर हेतु रेल मार्ग का निर्माण हेतु प्रस्तावित रेल मार्ग हेतु खरसिया से छाल (0 से 10 किमी.) हेतु तहसील खरसिया के राजस्व वन भूमि $2.631 + 0.833 = 3.464$ हे. में एवं घरघोड़ा से डोंगामौहा (0 से 28 कि.मी.) हेतु अनुविभाग घरघोड़ा तहसील तमनार के राजस्व वन भूमि 5.094 हे. में यानि कुल राजस्व वन भूमि $3.464 + 5.094 = 8.558$ हे. तथा अनुभाग घरघोड़ा अंतर्गत (0 से 28 कि.मी.) कम्पार्टमेंट नंबर अनुसार आरक्षित वन भूमि 17.962 हे. कुल 26.520 हे. राजस्व एवं आरक्षित वन भूमि के प्रकरण में गैरवानिकीय उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत व्यपवर्तित की जाने वाली राजस्व वन भूमि के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घरघोड़ा जिला रायगढ़ के प्रमाण-पत्र के आधार प्रमाणित किया जाता है :-

1. कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व वन भूमि ग्राम भालूनारा तहसील खरसिया, ग्राम बरकसपाली, ढोलनारा, सत्ता एवं खर्रा तहसील तमनार जिला रायगढ़ स्थित राजस्व वन भूमि 8.558 हे. एवं आरक्षित वन भूमि रकबा 17.962 हे. कुल रकबा 26.520 हे. जो इस कार्य के लिए व्यपवर्तित की जानी है, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घरघोड़ा जिला रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 'स' के आधार पर तैयार किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

क्रं.	अनुविभाग का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा (हे.मे.)	भूमि का मद
1	2	3	4	5	6	7	8
1	खरसिया	खरसिया	भालूनारा	49/1से	0.085	0.085	छोटे झाड़ का जंगल
	—''—	—''—	—''—	46/1से	0.016	0.016	छोटे झाड़ का जंगल
	—''—	—''—	—''—	32/1कसे	0.040	0.040	छोटे झाड़ का जंगल
	—''—	—''—	—''—	32/2क से	0.024	0.024	छोटे झाड़ का जंगल
	—''—	—''—	—''—	213/1से	0.324	0.324	छोटे झाड़ का जंगल
	—''—	—''—	—''—	211	0.259	0.259	छोटे झाड़ का जंगल
	—''—	—''—	—''—	205/1 से	0.911	0.911	छोटे झाड़ का जंगल
	—''—	—''—	—''—	203/277/1 से	0.344	0.344	छोटे झाड़ का जंगल
	—''—	—''—	—''—	203/277/1 से	0.105	0.105	छोटे झाड़ का जंगल
	—''—	—''—	—''—	237/1 से	0.275	0.275	छोटे झाड़ का जंगल
	—''—	—''—	—''—	240/1क से	0.142	0.142	छोटे झाड़ का जंगल
	—''—	—''—	—''—	247/1 से	0.065	0.065	छोटे झाड़ का जंगल
	—''—	—''—	—''—	36/1 क से	0.041	0.041	छोटे झाड़ का जंगल
		योग		13	2.631	2.631	

	खरसिया	खरसिया	भालूनारा	32/1क	1.214	0.364	छोटे झाड़ का जंगल
	--	--	--	8/1क	0.413	0.146	छोटे झाड़ का जंगल
	--	--	--	3/1	1.242	0.121	छोटे झाड़ का जंगल
	--	--	--	46/1	0.117	0.101	छोटे झाड़ का जंगल
	--	--	--	49/1	0.445	0.101	छोटे झाड़ का जंगल
			योग	05	3.431	0.833	
2	घरघोड़ा	तमनार	ढोलनारा	153	0.169	0.169	छोटे झाड़ का जंगल
			योग	01			
3	--	--	खर्रा	132/4	1.190	1.190	वन खण्ड
	--	--	--	129/1	0.279	0.279	बड़े झाड़ का जंगल
	--	--	--	118/1	0.809	0.809	बड़े झाड़ का जंगल
			योग	03	2.278	2.278	
4	--	--	बरकसपाली	250/1	0.672	0.672	छोटे झाड़ का जंगल
	--	--	--	21/1	0.299	0.299	छोटे झाड़ का जंगल
			योग	02	0.971	0.971	
5	--	--	सक्ता	16/1	0.494	0.494	छोटे झाड़ का जंगल
	--	--	--	10/1	0.769	0.769	छोटे झाड़ का जंगल
	--	--	--	2/1	0.413	0.413	छोटे झाड़ का जंगल
			योग	03	1.676	1.676	
			कुल	09	5.094	5.094	
			कुल योग	27	8.558	8.558	

प्रभावित आरक्षित वन भूमि

क्रमांक	चैनैज		आरक्षित वन भूमि कम्पार्टमेंट नंबर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
	से	तक		
1	2	3	4	5
1	19020	19460	739	1.248
2	21452	21756	738	1.479
3	22026	22128	738	0.413
4	22128	22380	738	0.864
5	22380	22420	738	0.091
6	22420	22472	738	0.128
7	23192	23360	722	0.625
8	25460	25860	725	1.640
9	25860	26264	726	1.602
10	26580	26700	725	0.277
11	26940	28320	724	8.803
12			1282 (OA, IV P)	0.792
योग				17.962
महायोग (राजस्व वन भूमि + आरक्षित वन भूमि)				26.520 हे.



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहामाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 1071

बिलासपुर, दिनांक 1-7-16

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.स.अ.)
छत्तीसगढ़,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 of 26.520 ha. Of Forest Land to Construct Railway Line for Spur of East Rail Corridor From Kharsia to Gurda & Ghargoda to Gare Pelma a distance of 38 (10+28) km (Approx.) in Raigarh District to be used for freight & passanger service- Regarding.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/RAIL/12523/2015

संदर्भ :-

आपका पृ.क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-356/1428 दिनांक 10.06.2016

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से उठाई गई आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार कर प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :-

क्र.	आपत्तियाँ	निराकरण
1	प्रस्ताव में दर्शित रकबा 26.520 हे. का वन अधिकार प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव में दर्शित रकबा 26.520 हे. का वन अधिकार प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित है। (अनुलग्नक-01, पृष्ठ 131-134)
2	ग्राम सभा की सत्यापित प्रतियां संलग्न नहीं है। अनुभाग स्तरीय समिति के प्रतिवेदन का कार्यवाही विवरण भी संलग्न करें।	ग्राम सभा की सत्यापित प्रतियां संलग्न है। अनुभाग स्तरीय समिति के प्रतिवेदन का कार्यवाही विवरण भी संलग्न है। (अनुलग्नक-02, पृष्ठ 135-213)
3	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 54 (ए) संलग्न टोपोशीट नक्शा वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।	प्रस्ताव के प्रथम पृष्ठ 54 (ए) संलग्न टोपोशीट नक्शा हस्ताक्षरित कर संलग्न है। (अनुलग्नक-03, पृष्ठ 54 ए)
4	भाग-3 की अनुशंसा में अनुशंसित/नहीं अनुशंसित दोनों कहा है। (पृष्ठ-129)	भाग 3 की अनुशंसा में अनुशंसित की गई है। (अनुलग्नक-04, पृष्ठ 129)

संलग्न : - प्रस्ताव 4 प्रतियों में।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपरिचालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड, द्वितीय तल, सी.एस.आई.डी.सी. कामर्शियल कॉम्प्लेक्स, महादेव घाट रोड, रायपुरा चौक, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ ।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)